राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1009/2017/जयपुर.
2. अपील संख्या – 1010/2017/जयपुर.

मैसर्स कबाब्स एण्ड करीज कं0, चित्रकूट, अजमेर रोड़, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–आई, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 1011/2017/जयपुर.
4. अपील संख्या – 1012/2017/जयपुर.

मैसर्स कबाब्स एण्ड करीज कं0, राजापार्क, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–आई, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री यशस्वी शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये चार अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या क्रमशः एस–61, एस–62, एस–63 व एस–64/AA-I/Stay/17–18 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 22.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–आई, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थीगण की आलौच्य अवधियों क्रमशः वर्ष 2014–15 व 2015–16 के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेशों दिनांक 28.04.2017 से सृजित मांग राशि (कर + ब्याज + शास्ति) के स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति की सीमा तक स्थगन स्वीकार किये गये, जबकि आरोपित अन्तर कर व ब्याज के सम्बन्ध में स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूली योग्य शेष राशि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया है।

लगातार.....2

2. इन सभी प्रकरणों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधियों में अपीलार्थीगण द्वारा ब्राण्ड नेम Kababs & Currries Company के आउटलेट से कुक्ड फूड का विक्रय 5/5.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्राण्डेड कुक्ड फूड को वेट अधिनियम की अनुसूची—V की प्रविष्ठि संख्या 16(V) के अनुसार 14/14.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, तद्नुसार ब्याज एवं वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया था, जिसकी वसूली की कार्यवाही पर स्थगन हेतु अपीलार्थी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्र अपीलीय अधिकारी के पृथक—पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 22.06.2017 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार किया गया तथा कर व ब्याज की राशि को वसूलनीय अवधारित किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त अपीलीय आदेशों से व्यथित होकर ये द्वितीय अपीलें, प्रकरण में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेशों में गलत रूप से अपीलार्थीगण के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति एवं उनके तर्क अंकित करते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जबकि अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई दिनांक को ना तो अपीलार्थी स्वयं एवं ना ही अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर आदेश पारित किये गये हैं, जो प्रथम दृष्टया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री यशस्वी शर्मा की उपस्थिति अंकित की गयी है, साथ ही उनके तर्कों एवं उनके द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। साथ ही कथन किया कि व्यवहारीगण द्वारा ब्राण्डेड नेम से कुक्ड फूड की

लगातार.....3

बिक्री की जाती है, जिस पर वेट अधिनियम की अनुसूची–V की प्रविष्ठि संख्या 16(V) अनुसार सामान्य दर से करदेयता बनती है, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है, जिसकी वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। इस प्रकार विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के कथन का खण्डन करते हुए, अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं अपीलीय आदेशों व कर निर्धारण आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं अतः उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे। हालांकि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री यशस्वी शर्मा की उपस्थिति एवं तर्कों का अंकन करते हुए धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। फिर भी न्यायहित में अपीलार्थीगण के अधिकृत प्रतिनिधि की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वे प्रकरणों में धारा 38(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में दिनांक 10/07/2017 को अपीलार्थी स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई करते हुए एवं वक्त सुनवाई पत्रावली की आदेशिका में अपीलार्थी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करवाकर विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करें। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 10/07/2017 को आवश्यक रूप से उपस्थित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें। उक्त दिनांक को अपीलार्थी की ओर से अपीलीय अधिकारी के समक्ष किसी के उपस्थित नहीं होने पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों दिनांक 22.06.2017 की स्वतः पुष्टि मानी जावेगी।

7. परिणामस्वरूप प्रकरणों में गुणावगुण के बिन्दु पर कोई निर्णय दिये बगैर, उपरोक्त निर्देशानुसार प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं। इस आदेश की प्रति आज ही फैक्स से अपीलीय अधिकारी को प्रेषित की जावे एवं प्राप्ति की सूचना पत्रावली पर अंकित की जावे।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य 5/7/17

(के. एल. जैन)
सदस्य